

FORM No. III**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सी)बनाम मोकुल वंज
किस्म मुकदमा 21/01 नं. 28/2020 सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
18.12.2024	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी सम्मन तलबाना पेश करने बाबत अवसर चाहते हैं। वकील वादी को न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया जाता है। वास्ते पेश होने सम्मन तलबाना आवश्यक रूप से पत्रावली दिनांक 22.12.2024 को पेश हो।</p> <p>(अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)</p>
22.12.2024	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने उपस्थित होकर उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाकर वाद पत्र को इसी स्तर पर लोक अदालत की भावना से राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्वा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। अतः वकील वादी के निवेदन पर राष्ट्रीय लोक अदालत में उक्त वाद पत्र को इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>(अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)</p>